न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.औ.) गुलाबपुरा

बईजलास श्री नन्दकिशोर राजोरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं.– 1739/2016

उनवान

1 कालु पिता गिरधारी रेगर, निवासी हुरडा , तहसील हुरडा ।
2 मु. हस्तु पत्नि गिरधारी रेगर, निवासी हुरडा , तहसील हुरडा ।
3 मांगी देवी पत्नि लादू रेगर, निवासी हुरडा, तहसील हुरडा ।
4 गीता देवी पत्नि मिश्री रेगर, निवासी हुरडा, तहसील हुरडा ।

–वादीगण

बनाम

1 राजी पत्नि मूला रेगर, निवासी हुरडा, तहसील हुरडा ।
2 मोहनी पत्नि खेमाराम रेगर, निवासी हुरडा, तहसील हुरडा ।
3 तुलसी पत्नि नगजीराम रेगर, निवासी हुरडा, तहसील हुरडा ।
4 दूदा पिता ज्वारा गुर्जर, निवासी बावलों का खेडा, तहसील हुरडा ।
5 भिया पिता ज्वारा गुर्जर, निवासी बावलों का खेडा, तहसील हुरडा ।
6 सुजान पिता ज्वारा गुर्जर, निवासी बावलों का खेडा, तहसील हुरडा।
7 चन्द्रा पिता ज्वारा गुर्जर, निवासी बावलों का खेडा, तहसील हुरडा।
8 मन्जू पत्नि महादेव रेगर, निवासी हुरडा, तहसील हुरडा ।
9 गंगाराम पिता छोगा रेगर, निवासी हुरडा तहसील हुरडा ।
10 मुस्मात स्याणी पत्नि छोगा रेगर, निवासी हुरडा, तहसील हुरडा ।
11 शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा हुरडा ।
12 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार हुरडा ।

प्रतिवादीगण

उपस्थित :– श्री रतन लाल वैष्णव वकील वादी ।

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं सपठित धारा– 136 भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत

–:निर्णय:–

दिनांक– 18.06.2018

1– वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या– 8 से 10 की साबिक आराजी खसरा नम्बर– 765 रकबा 07 बीघा 09 बिस्वा जिसका हाल आराजी खसरा नम्बर– 1159 है जिसका हाल रकबा 07 बीघा 11 बिस्वा राजस्व रेकार्ड में दर्ज होकर वाके ग्राम हुरडा मगरा तहसील हुरडा में स्थित होकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या– 8 से 10 के सुखाधिकार पुश्तैनी व मौरुसी हक अधिकारों से काबिज काश्त चले आ रहे है एवं आज भी निरन्तर काश्त कर रहे है।

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

नम्बर– 765 का रकबा जो बन्दोबस्त के पूर्व रकबा 07 बीघा 09 बिस्वा राजस्व रेकार्ड में अंकित था जिससे नई जरीब से नया रकबा फलावट करते हुये रकबा 09 बीघा 19 बिस्वा होना चाहिए था किन्तु दौरान भू बन्दोबस्त उक्त साबिक आराजीयात के नये खसरा नम्बर– 1159 कायम किये गये किन्तु रकबा 09 बीघा 10 बिस्वा के बजाय 07 बीघा 11 बिस्वा दर्ज करते हुये शेष रकबा 02 बीघा 08 बिस्वा को प्रतिवादी संख्या– 1 से 3 की आराजी खसरा नम्बर– 1160 में 01 बीघा 15 बिस्वा एवं प्रतिवादी संख्या– 4 से 7 की आराजी खसरा नम्बर– 1150, 1149 मे 13 बिस्वा को उनके आराजीयात में मिला दिया।

3– वादीगण एवं प्रतिवादीगण 08 से 10 की आराजीयात जैर बहस का नवीन भूप्रबन्ध विभाग के द्वारा कमी रकबा को प्रतिवादीगण 1 से 3 की साबिक आराजी खसरा नम्बर– 763 रकबा 05 बीघा 01 बिस्वा है जिसके नवीन 1160 कायम किये गये जिसका रकबा 06 बीघा 15 बिस्वा होना चाहिए परन्तु भूप्रबन्ध विभाग के द्वारा 08 बीघा 10 बिस्वा रखा गया है जो रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा अधिक है इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या– 4 से 7 की साबिक आराजी खसरा नम्बर– 766 रकबा 08 बीघा 06 बिस्वा जिसका नवीन फलावट से रकबा 11 बीघा 01 बिस्वा होता है परन्तु भू प्रबन्ध विभाग के द्वारा नये खसरा नम्बर– 1149, 1150 कायम किये जाकर रकबा 13 बीघा 09 बिस्वा रखा गया है जो 02 बीघा 08 बिस्वा अधिक है।

4 इस प्रकार से वादीगण एवं प्रतिवादीगण 08 से 10 की साबिक आराजीयात का कमी रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा प्रतिवादी संख्या– 1 से 3 की आराजीयात में एवं प्रतिवादी 4 से 7 की आराजीयात में रकबा 13 बिस्वा मिला दिया है जिसको दुरुस्त कराकर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 08 से 10 अपने खाते में पुनः दर्ज कराने के अधिकारी होकर डिक्री हासिल करने के अधिकारी है।

5 भू–बन्दोबश्त अधिकारियों को पुराने प्रविष्टि के नये नम्बर कायम करते हुये नवीन रकबा नवीन जरीब के हिसाब से नवीन भूमाप लिखने का अधिकार मात्र है किन्तु अधिकारियों ने अपने अधिकारों से परे जाकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या– 8 से 10 के हक में आराजी नम्बर– 1159 का रकबा 09 बीघा 19 बिस्वा के बजाय मात्र 07 बीघा 11 बिस्वा ही अंकित किया गया जो काबिल दुरुस्ती के है।

6 वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या– 8 से 10 साबिक भूमाप से नवीन भूमाप परिवर्तन रकबा 07 बीघा 11 बिस्वा के बजाय 09 बीघा 19 बिस्वा रकबा दर्ज कराने के अधिकारी है क्योंकि वर्तमान में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या– 8 से 10 अपने पूरे रकबे पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है।

7 वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या– 8 से 10 अपने नाम पर कमी रकबा 02 बीघा 08 बिस्वा हाल आराजी नम्बर– 1159 में दर्ज कराकर रकबा 02 बीघा 08 बिस्वा को पुनः अपने नाम पर मिलाते हुये कुलिया रकबा

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

09 बीघा 19 बिस्वा भूमि खातेदार हक से दर्ज करवाने के लिये विधिवत डिकी हासिल करने के अधिकारी है इस हेतु वादीगण माननीय न्यायालय में चाराजोही पेश करते है।

8 उपरोक्त आराजीयात से वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या– 8 से 10 तथा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या– 8 से 10 के परिवारजन की आजीविका चलती है यदि कमी रकबा 02 बीघा 08 बिस्वा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या– 8 से 10 का परिवार भरण पोषण की व्यवस्था का मोहताज हो जायेगा तथा परिवार की आजीविका का साधन समाप्त हो जायेगा चूँकि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या– 8 से 10 एवं वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या– 8 से 10 का परिवार कृषि आय पर निर्भर करते है।

9 उक्त कमी रकबा 02 बीघा 08 बिस्वा जो प्रतिवादी संख्या– 1 से 3 के नाम 01 बीघा 15 बिस्वा व 4 से 7 के नाम 13 बिस्वा राजस्व रेकार्ड में दर्ज हो जाने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 से 7 उपरोक्त भूमि से वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या– 8 से 10 को जबरन बेदखल कर कब्जा हथियाने पर आमादा है तथा उक्त वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या– 8 से 10 के नाम कमी रकबा प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के नाम गलत दर्ज हो जाने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 से 7 अन्य को विक्रय कर पंजियन कराने पर आमादा है जिसे स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना निहायत जरुरी है।

10 वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या– 8 से 10 को उनके खाते की कमी रकबे की जानकारी प्रतिवादी संख्या– 1 से 3 के द्वारा दिनांक 11.04.2016 को उनके खाते की आराजीयात की सीमांकन के दौरान मालूम हुई की वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या– 8 से 10 की आराजीयात की कमी भूमि 02 बीघा 08 बिस्वा प्रतिवादी संख्या– 1 से 7 के खाते भू प्रबन्ध की गलती से अंकित हो गई है।

11 बिनायवाद प्रतिवादी संख्या– 1 से 7 के द्वारा उनके खाते की भूमि के सीमांकन के दौरान दिनांक 11.04.2016 को भू प्रबन्ध विभाग की इस गलती की जानकारी वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या– 8 से 10 को होने एवं भूप्रबन्ध के द्वारा पैमाइश के दौरान की गई उक्त गलती की जानकारी दिनांक 11.04.2016 से होने की दिनांक से उत्पन्न होकर आज दिनांक तक जारी है।

12 अन्त में अंकित किया गया कि वादीगण का वाद बहक वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या– 8 से 10 खिलाफ प्रतिवादीगण 1 से 7 व 11 से 12 स्वीकार फरमाया जकार प्रतिवादीगण 1 से 7 के विरुद्ध इस आशय की डिकी पारित फरमाई जावें कि वादीगण के वाद में अंकित साबिक आराजी खसरा नम्बर– 765 रकबा 07 बीघा 09 बिस्वा जिसकी हाल आराजी खसरा नम्बर– 1159 रकबा 07 बीघा 11 बिस्वा का नवीन फलावट से हाल आराजी खसरा नम्बर– 1159 में रकबा 07 बीघा 11 बिस्वा के बजाय रकबा 09 बीघा 19 बिस्वा के वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या– 8 से 10 खातेदार काश्तकार है।

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

माफिक न्यायालय डिकी के प्रतिवादी संख्या– 12 तहसीलदार को आदेशित फरमाया जावे कि मुताबिक डिकी वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या– 8 से 10 के हक में राजस्व रेकार्ड में उचित अमल दरामद करें तथा नक्शें में आराजी नम्बर– 1159 रकबे के अनुसार जमाबन्दी में रकबा 07 बीघा 11 बिस्वा के बजाय रकबा 09 बीघा 19 बिस्वा दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

13 बहक वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या– 8 से 10 खिलाफ प्रतिवादीगण 1 से 7 स्थायी निषेधाधा की डिकी इस आशय की पारित फरमाई जावे कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या– 8 से 10 की आराजी हाल आराजी खसरा नम्बर– 1159 रकबा 02 बीघा 08 बिस्वा भूमि प्रतिवादीगण 1 से 3 की आराजी खसरा नम्बर– 1160 मे से 01 बीघा 15 बिस्वा एवं आराजी खसरा नम्बर– 1150, 1149 रकबा 13 बिस्वा कुल रकबा 02 बीघा 08 बिस्वा के गलत नाम दर्ज हो गई है को प्रतिवादी संख्या– 1 से 7 अन्य को रहन बेचान, बक्षीस आदि नही करें, करावें तथा किसी भी प्रकार के दस्तावेज का निष्पादित कर अन्य के हक से पंजियन नही करें, करावें वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या– 8 से 10 को शान्तिपूर्वक काबिज काश्त रहने देवे। वादीगण एवं प्रतिवादीगण 8 से 10 के कब्जे में किसी भी प्रकार की दखल अन्दाजी स्वयं नौकर चाकर एजेण्ट के मार्फत करने कराने से रुके रहे दौरान सुनवाई वाद पत्र प्रतिवादीगण 1 से 7 अपने नाजायज उदेश्य में सफल हो जावे तो जरिये आज्ञापक निषेधाज्ञा के मार्फत वाद दायरी की स्थिति पुनः प्रतिवादीगण 1 से 7 के खर्च से लाई जाने की डिकी पारित फरमाई जावें।

14 प्रस्तुत वाद पत्र बाद जॉच दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाने पर प्रतिवादी संख्या– 8, 9, 10 बावजूद सूचना के गैरहाजिर रहने से उनके विरुद्ध दिनांक 19.10.2016 को एकतरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये गये। प्रतिवादी संख्या– 4, 5, 6, 7, 11 बावजूद सूचना के गैर हाजिर रहने से उनके विरुद्ध दिनांक 16.11.2016 को एकतरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये गये है। प्रतिवादी संख्या– 1, 2, 3 बावजूद सूचना के गैर हाजिर रहने से उनके विरुद्ध दिनांक 11.01.2017 को एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये । प्रतिवादी संख्या– 12 के पैरोकारराज के द्वारा दिनांक 21.03.2017 को जवाबदावा प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

15 प्रकरण में वादपत्र व जवाबदावा के आधार पर दिनांक 20.02.2018 को निम्न प्रकार से तनकीयात कायम की गई –

तनकी नं.1	आया ग्राम हुरडा मगरा तहसील हुरडा की साबिक आराजी खसरा नम्बर– 765 रकबा 07 बीघा 09 बिस्वा जिसका हाल खसरा नम्बर– 1159 रकबा 07 बीघा 11 बिस्वा दर्ज रेकार्ड वादीगण एवं प्रतिवादीगण 8 से 10 के कब्जे काश्त की खातेदारी हक से राजस्व रेकार्ड में स्थित है।	–वादीगण
तनकी नं.2	आया साबिक खसरा नम्बर– 765 रकबा 07 बीघा 09 बिस्वा का नई जरीब से फलावट करने से	–वादीगण

Scanned by CamScanner

	वर्तमान भू–प्रबन्ध में रकबा 09 बीघा 19 बिस्वा होता है।	
तनकी नं.3	आया दर्ज साबिक खसरा नम्बर– 765 रकबा 07 बीघा 09 बिस्वा का नई बन्दोबस्त से भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा नवीन खसरा नम्बर– 1159 का रकबा 09 बीघा 19 बिस्वा कायम किया जाना चाहिए परन्तु भू प्रबन्ध विभाग की गलती से खसरा नम्बर– 1159 का रकबा 07 बीघा 11 बिस्वा ही कायम किये गये एवं शेष रकबा 02 बीघा 08 बिस्वा को प्रतिवादी संख्या–1 से 3 की आराजी खसरा नम्बर– 1160 में 01 बीघा 15 बिस्वा एवं प्रतिवादी संख्या– 4 से 7 की आराजी खसरा संख्या– 1150, 1149 में 13 बिस्वा मिला दिया जिससे वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या– 8 से 10 अपने कमी रकबा 02 बीघा 08 बिस्वा को दुरुस्त कराकर पुनः अपने खाते में दर्ज कराने के अधिकारी होकर डिक्री हासिल कराने के अधिकारी है।	–वादीगण
तनकी नं.4	आया वाद पत्र की कॉलम संख्या– 3 अ, 4, 5, 6 में वर्णित कारणों से वादीगण एवं प्रतिवादीगण 8 से 10 अपने कमी रकबा 02 बीघा 08 बिस्वा को प्रतिवादी संख्या– 1 से 7 के आराजी खसरा नम्बर व खाते से कमी करवाकर अपने खाते में दर्ज कराने व खातेदारी हकों की घोषणा कराने के अधिकारी है।	–वादीगण
तनकी नं.5	अनुतोष	

16 वादीगण ने अपने वाद पत्र की ताहीद में पी.डब्लू.–1 कालु रेगर, पी. डब्लू–2 रामचन्द्र बलाई, पी.डब्लू–3 रामपाल रेगर के बयान करवाये गये। तथा दस्तावेजी साक्ष्य में ई.एक्स.पी–1 जमाबन्दी सम्वत् 2018–21, ई.एक्स.पी–2 जमाबन्दी सम्वत् 2018–21 खाता संख्या– 454, ई.एक्स.पी–3 जमाबन्दी सम्वत् 2018–21 खाता संख्या– 50, ई. एक्स.पी–4 जमाबन्दी सम्वत् 2034–37, ई.एक्स.पी–5 जमाबन्दी सम्वत् 2034–37 खाता संख्या– 675, ई.एक्स.पी–1 जमाबन्दी सम्वत् 2034–37 खाता संख्या– 64, ई.एक्स.पी–7 जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 खाता संख्या– 429, ई.एक्स.पी–8 जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 खाता संख्या– 543, ई.एक्स.पी–9 जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 खाता संख्या– 238, ई.एक्स.पी–10 साबिक नक्शा, ई.एक्स.पी–11 नया नक्शा, ई.एक्स. पी–12 मिलान खसरा सम्वत् 2022, ई.एक्स.पी–13 मिलान खसरा को प्रदर्श करवाया गया। अन्य कोई गवाह अथवा दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही कराना चाहने से साक्ष्यवादी स्टेज बन्द की गई।

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

17 तत्पश्चात पत्रावली आज केम्प कोर्ट हुरडा पर पेश हुई। वकील वादी उपस्थित । वकील वादी की एकतरफा बहस सूनी गई। वक्त बहस वकील वादी का कथन था कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या– 8 से 10 की साबिक आराजी नम्बर– 765 का रकबा 07 बीघा 09 बिस्वा राजस्व रिकार्ड में दर्ज था, जो नवीन जरीब के अनुसार 09 बीघा 19 बिस्वा दर्ज होना चाहिये था। किन्तु सेटलमेन्ट के द्वारा 09 बीघा 19 बिस्वा के बजाय 07 बीघा 11 बिस्वा दर्ज करते हुये। शेष रकबा 02 बीघा 08

Scanned by CamScanner

...के प्रतिवादी संख्या– 1 से 3 की आराजी नम्बर– 1160 में 01 बीघा 15 बिस्वा तथा प्रतिवादी संख्या– 4 से 7 की आराजी नम्बर– 1149, 1150 में 13 बिस्वा भूमि को मिला दिया। जिसको दुरूस्त कराकर वादीगण व प्रतिवादी संख्या– 8 से 10 के खाते में पुनः दर्ज कराने के अधिकारी होने से दावा वादी स्वीकार फरमाया जावें।

18 मैंने वकील वादी को सुना । बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया । विवेचन तनकीवार निम्न प्रकार से है–

19 **तनकी नम्बर– 1 व 2** इन दोनों तनकीयों को सिद्ध कराने का भार वादीगण पर होने तथा यह दोनो तनकीयाँ एक–दूसरे से सम्बन्धित होने से इनका विवेचन एक साथ किया जा रहा है। इन तनकीयों के समर्थन में वादीगण के द्वारा ई.एक्स.पी.–1, ई.एक्स.पी.–12 को प्रदर्श करवाया गया। वादीगण के द्वारा प्रस्तुत ई.एक्स.पी–1 जमाबन्दी सम्वत् 2018 से 2021 मौजा हुरडा मगरा के अनुसार साबिक आराजी नम्बर– 765 रकबा 07 बीघा 09 बिस्वा भूमि छोगा, गिरधारी, काना, पिता भागीस्थ बविलायत मुस्मात स्याणी बेवा भागू रेगर साकिन दे हके नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट आया है। ई.एक्स.पी–12 भू–प्रबन्ध (सेटलमेन्ट) विभाग के खसरा सम्वत् 2022 मौजा हुरडा मगरा के अनुसार साबिक आराजी नम्बर– 765 के नये नम्बर– 1159 रकबा 07 बीघा 14 बिस्वा बनाये जाना स्पष्ट हुआ है। ई.एक्स.पी–7 हाल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 मौजा हुरडा मगरा के अनुसार आराजी नम्बर– 1159 रकबा 07 बीघा 11 बिस्वा भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या– 8 से 11 के नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट आया है। तदनुसार इन तनकीयों का निर्णय वादीगण के पक्ष में किया जाता है।

20 **तनकी नम्बर– 3** इस तनकी को सिद्ध कराने का भार वादीगण पर है। इस तनकी के समर्थन में ई.एक्स.पी.–12, वादीगण के द्वारा प्रस्तुत ई.एक्स.पी–12 भू–प्रबन्ध (सेटलमेन्ट) विभाग के खसरा सम्वत् 2022 मौजा हुरडा मगरा के अनुसार साबिक आराजी नम्बर– 765 रकबा 07 बीघा 09 बिस्वा के 07 बीघा 11 बिस्वा भूमि ही बनाये गये है। जबकि साबिक रकबा 07 बीघा 09 बिस्वा के नवीन जरीब के अनुसार 09 बीघा 19 बिस्वा भूमि बनना चाहिये था। इस प्रकार वादीगण के 02 बीघा 08 बिस्वा भूमि कम दर्ज होना स्पष्ट हुआ है।

वादीगण के द्वारा प्रस्तुत ई.एक्स.पी.–2 जमाबन्दी सम्वत् 2018 से 2021 के अनुसार साबिक आराजी नम्बर– 763 रकबा 05 बीघा 01 बिस्वा भूमि देवा पिता रतना रेगर के नाम दर्ज रिकार्ड थी। ई.एक्स.पी.– 12 सेटलमेन्ट के खसरा के अनुसार साबिक आराजी नम्बर– 763 के नवीन आराजी नम्बर– 1160 रकबा 08 बीघा 10 बिस्वा बनाये जाना तथा हाल जमाबन्दी ई.एक्स.पी.–8 के अनुसार आराजी नम्बर– 1160 रकबा 08 बीघा 10 बिस्वा भूमि राजी बेवा मूला, मोहनी पत्नि खेमराज, तुलछी पत्नि नगजीराम रेगर साकिन देह के नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट आया है। चुकि साबिक आराजी नम्बर–

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

763 का रकबा 05 बीघा 01 बिस्वा था जिसके नवीन जरीब से रकबा 06 बीघा 15 बिस्वा बनना चाहिये था, जबकि सेटलमेन्ट विभाग के द्वारा 05 बीघा 01 बिस्वा का रकबा 08 बीघा 10 बिस्वा बना दिया जो साबिक रकबा की रुह से 01 बीघा 15 बिस्वा भूमि अधिक है।

इसी प्रकार से ई.एक्स.पी.–3 जमाबन्दी सम्वत् 2019–21 मौजा हुरडा मंगरा के अनुसार साबिक आराजी नम्बर– 766 रकबा 09 बीघा 06 बिस्वा भूमि भूरा पिता हमीरा खाती साकिन देह के नाम दर्ज रिकार्ड होना तथा ई.एक्स.पी–12 सेटलमेन्ट के खसरा के अनुसार साबिक आराजी नम्बर– 766 के नवीन नम्बर– 1149 रकबा 19 बिस्वा 1150 रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा बनाया जाना प्रकट आया है। ई.एक्स.पी–9 हाल जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 मौजा हुरडा मंगरा के अनुसार आराजी नम्बर– 1149, 1150 किता 2 रकबा 13 बीघा 09 बिस्वा भूमि दूदा, भीया, सुजाण, चन्द्रा पिता ज्वारा गुर्जर साकिन बावलों का खेडा खातेदार दर्ज रिकार्ड होना प्रकट आया है। चुँकि साबिक आराजी नम्बर– 766 का रकबा 09 बीघा 06 बिस्वा था जिसके नवीन जरीब से रकबा 12 बीघा बनना चाहिये था, जबकि सेटलमेन्ट विभाग के द्वारा 09 बीघा 06 बिस्वा का रकबा 13 बीघा 09 बिस्वा बना दिया जो साबिक रकबा की रुह से 01 बीघा 09 बिस्वा अधिक है। तद्नुसार वादीगण कमी रकबा 02 बीघा 08 बिस्वा भूमि के लिये हक घोषणा करवाने के अधिकारी पाये जाने से इस तनकी का निर्णय वादीगण के पक्ष में किया जाता है।

21 <u>तनकी नम्बर– 4</u> इस तनकी को सिद्ध कराने का भार वादीगण पर है। इस तनकी का विस्तृत विवेचन तनकी नम्बर– 2, 3 में किया जा चूका है, पृथक से और विवेचन किया जाना न्यायालय उचित नही समझता है, लिहाजा इस तनकी का निर्णय वादीगण के पक्ष में किया जाता है।

22 <u>तनकी नम्बर– 4</u> इस वाद की सभी तनकीयों का निर्णय वादीगण के पक्ष में हो जाने से इस वाद का निर्णय हो जाता है, तद्नुसार दावा वादी स्वीकार किये जाने योग्य है।

–: निर्णय :–

दावा वादी डिक्री किया मौजा हुरडा मंगरा तहसील हुरडा की आराजी नम्बर– 1160 में से 01 बीघा 15 बिस्वा, आराजी नम्बर– 1150 में से 13 बिस्वा कुल 02 बीघा 08 बिस्वा भूमि कम की जाकर उक्त भूमि के लिये वादीगण व प्रतिवादी संख्या– 8 से 10 को खातेदार घोषित किया जाता है। शेष इन्द्राज बदस्तूर रहें। तथा प्रतिवादी संख्या– 1 से 7 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह वादीगण के हक हिस्से की आराजी में दखलअन्दाजी न करें न करावें । तद्नुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हो । पत्रावली शूमार फैसल होकर दाखिल दफतर करें । निर्णय आज दिनांक 18.06.2018 को खुली अदालत केम्प कोर्ट हुरडा पर सूनाया गया ।

(नन्दकिशोर राजोरा)
सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner